



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

137-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 16, 2018 (SRAVANA 25, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th August, 2018

No.25-HLA of 2018/49/18166.— The Haryana Pond and Waste Water Management Authority Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 25- HLA of 2018.

THE HARYANA POND AND WASTE WATER MANAGEMENT AUTHORITY BILL, 2018

A

BILL

to establish an authority in the State for development, protection, rejuvenation, conservation, construction and management of pond, utilization of pond water and treatment thereof and for management and utilization of treated effluent of sewage effluent treatment plants for the purpose of irrigation, thereby reducing stress of over exploitation of ground water and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Pond and Waste Water Management Authority Act, 2018. Short title, commencement and application.
 - (2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of the Act.
 - (3) It applies to all ponds in the State but shall not apply to a pond-
 - (i) having an area of less than 0.5 acres;
 - (ii) located in an area notified as forest; and
 - (iii) located on private land.
-
2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Authority” means the Haryana Pond and Waste Water Management Authority constituted under section 3;
 - (b) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority;

- (c) "district level committee" means District Consultation and Monitoring Committee constituted under section 12;
- (d) "District Pond Management Officer" means an officer of Group A service at the district level, to be nominated by the Government;
- (e) "Executive Vice-Chairperson" means the Executive Vice-Chairperson of the Authority;
- (f) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (g) "Gram Panchayat" means a Panchayat constituted at village level under the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994);
- (h) "member" means a member of the Authority and includes the Chairperson, Senior Vice-Chairperson and Executive Vice-Chairperson;
- (i) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Authority;
- (j) "municipality" means an institution of self-Government which may be Municipal Committee or a Municipal Council or a Municipal Corporation;
- (k) "pond" means a tank or lake or any other inland water body having an area of 0.5 acre or more, whether it contains water or not, and mentioned in revenue records as talab, johar, tank or by any other name and includes green belt and the peripheral catchments areas, main feeder inlet and other inlets, bunds, weirs, sluices etc but does not include wet lands as notified by the Government from time to time;
- (l) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (m) "protected area" means the area declared as such under section 16;
- (n) "State" means the State of Haryana;
- (o) "village level committee" means the Village Pond and Waste Water Management Committee constituted under section 19.

Constitution
of Authority.

3. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette and with effect from such date, as may be specified in the notification, constitute, for the purposes of this Act, an Authority to be called the Haryana Pond and Waste Water Management Authority with headquarter at such place, as the Government may, specify.

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property both moveable and immovable and to contract and shall by the said name, sue or be sued.

(3) The Authority shall consist of the following members, namely:-

- | | | |
|-------|--|--------------------------------|
| (i) | Chief Minister, Haryana | Chairperson |
| (ii) | Minister In-charge, Irrigation and
Water Resources Department | Senior Vice-Chairperson |
| (iii) | Minister In-charge, Development
and Panchayats Department | Senior Vice-Chairperson |
| (iv) | A person of eminence in the field
of water resources management with
proven track record having minimum
qualification of graduation, to be appointed
by the Government | Executive Vice-
Chairperson |
| (v) | Additional Chief Secretary/Principal
Secretary to Government, Haryana,
Finance Department | Member |
| (vi) | Additional Chief Secretary /Principal
Secretary to Government, Haryana,
Irrigation and Water Resources Department | Member |

(vii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department	Member
(viii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Rural Development Department	Member
(ix)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department	Member
(x)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture and Farmers' Welfare Department	Member
(xi)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Public Health Engineering Department	Member
(xii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Environment and Climate Change Department	Member
(xiii)	Vice Chancellor, Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal (Sonipat)	Member
(xiv)	Director, National Institute of Technology, Kurukshetra	Member
(xv)	An officer, who is or has been working on the post not below the rank of Engineer-in-Chief or equivalent in the Irrigation and Water Resources Department or Public Health Engineering Department of the State or Central Government, to be appointed by the Government as Technical Advisor	Member
(xvi)	Two persons from amongst experts/social workers in the field of environment, ecology or pond development and conservation, to be appointed by the Government	Non-Official Members
(xvii)	An officer who is or has been working on the post not below the rank of Chief Engineer or equivalent in the Irrigation and Water Resources Department, Public Health Engineering Department or Development and Panchayats Department of the State or Central Government	Member Secretary

4. (1) The salaries, allowances and other conditions of service of the Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor and Member Secretary shall be such, as may be prescribed and shall hold the office for a period of three years or till attaining the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) The tenure of the non-official members shall be for a period of two years and shall not be eligible for re-appointment beyond two terms.

Salary, allowances and conditions of service..

- (3) A member, other than ex-officio member may, at any time, by writing under his hand, addressed to the Chairperson, resign from his office.
- (4) The non-official members shall receive such allowances for attending the meeting of the Authority, as may be prescribed.
- Meetings of Authority.** **5.** (1) The Authority shall meet at such time, at such place and observe such rules of procedure for conduct of meetings and transaction of business, as may be prescribed.
- (2) The Chairperson and in his absence, the Senior Vice-Chairperson shall preside over the meetings of the Authority.
- (3) The quorum for a meeting shall be one-third of the total number of members.
- Functions of Authority.** **6.** The Authority shall perform the following functions, namely:-
- (i) to survey and study pond, its boundaries and protected area;
- (ii) to analyze water of pond for ascertaining its suitability for irrigation and other uses;
- (iii) to take steps for regulation, control, protection, cleaning, beautification, conservation, reclamation, regeneration, restoration and construction of pond;
- (iv) to make environmental impact assessment of pond;
- (v) to prepare integrated plan for development of pond and removal of encroachment;
- (vi) to promote community participation and awareness in cleaning, conservation, tourism and beautification of pond by organizing awareness programmes, workshops and seminars;
- (vii) to develop infrastructure such as pumping machinery, channels and pipe systems for utilization of pond water and effluent of sewage effluent treatment plants for the purpose of irrigation;
- (viii) any other function, as may be directed by the Government.
- Powers of Authority.** **7.** The Authority while performing its functions under this Act shall have the following powers, namely:-
- (i) to enter into pond land, green belt and catchment area to perform its functions;
- (ii) to receive grants, donations, contributions and rents;
- (iii) to levy fee or charges;
- (iv) to receive Corporate Social Responsibility funds from private organizations;
- (v) to grant administrative approval for execution of projects;
- (vi) to release funds to village level committee on the recommendation of the district level committee;
- (vii) any other power, as may be assigned by the Government.
- Powers and duties of Executive Vice-Chairman.** **8.** (1) The Executive Vice-Chairperson shall give administrative approval to all project estimates and accept tenders subject to concurrence of the Authority:
- Provided that no such concurrence shall be necessary upto such amount, as may be prescribed.
- (2) The Executive Vice-Chairperson shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed.
- Powers and duties of Technical Advisor.** **9.** The Technical Advisor shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-
- (i) to prepare proposals and project estimates for development of pond;
- (ii) to prepare irrigation schemes from pond and sewage/effluent treatment plant and other works connected thereto;
- (iii) to accord technical sanction to estimates after administrative approval of the project;
- (iv) to give technical advice to the Authority;
- (v) to monitor execution of schemes and works of the Authority;

- (vi) to authenticate such technical permissions, orders, notices and other documents of the Authority, as may be prescribed;
- (vii) to exercise control over such officers and officials of the Authority, as may be prescribed.

10. The Member Secretary shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

Powers and duties of Member Secretary.

- (i) to carry into effect the resolutions of the Authority;
- (ii) to conduct affairs of the Authority;
- (iii) to draw and disburse monies out of the fund of the Authority as delegated to him;
- (iv) to authenticate such permissions, orders, decisions, notices and other documents, as may be prescribed;
- (v) to exercise such other powers, discharge such other functions and perform such other duties, as may be prescribed.

11. (1) The organization of the Authority shall have establishment, engineering, accounts and legal sections.

Organizational Structure of Authority.

(2) The Authority with the prior approval of the Government may appoint such officers and staff, in such manner and with such qualifications and conditions of service, as may be prescribed.

(3) The Authority may recruit or engage officers and officials on deputation or through contractual engagements, as it may deem necessary for discharge of its functions.

(4) The Authority may get its works executed as deposit work from any other department or organization of the State.

12. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a committee at each district level to be called the _____ (name of district) District Consultation and Monitoring Committee consisting of the following members, namely:-

District Consultation and Monitoring Committee.

- | | | |
|--------|---|-------------|
| (i) | Minister In-charge, District Grievances Committee | Chairperson |
| (ii) | Chairperson, Zila Parishad | Member |
| (iii) | Mayors/Presidents of the concerned Municipalities | Member |
| (iv) | Deputy Commissioner | Member |
| (v) | Additional Deputy Commissioner-cum-CEO (District Rural Development Authority) | Member |
| (vi) | Superintending Engineer, Irrigation and Water Resources Department | Member |
| (vii) | Superintending Engineer, Public Health Engineering Department | Member |
| (viii) | District Development and Panchayat Officer | Member |
| (ix) | Deputy Director, Agriculture and Farmers' Welfare Department | Member |
| (x) | District Horticulture Officer | Member |
| (xi) | District Forest Officer | Member |
| (xii) | District Fisheries Officer | Member |

- (xiii) Two persons from amongst experts/social workers in the field of environment, ecology or pond development and conservation, to be appointed by the Government Non-Official Members
- (xiv) District Pond Management Officer Member Secretary

(2) The non-official members shall receive such allowances for attending the meetings of the district level committee, as may be prescribed.

(3) The tenure of the non-official members shall be for a period of two years and shall not be eligible for re-appointment beyond two terms.

Functions and duties of District Pond Management Officer.

13. The District Pond Management Officer shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

- (i) to give effect to the resolutions of the district level committee;
- (ii) to conduct affairs of the district level committee;
- (iii) to monitor execution of schemes and works of the district level committee;
- (iv) to exercise control over the officers and officials of the district level committee;
- (v) to exercise such other powers and discharge such other functions and perform such other duties, as may be prescribed.

Acts prohibited in pond.

14. No person shall,-

- (i) construct any structure on pond land, green belt and catchment area, occupy any pond land or part thereof or cause any obstruction in the natural or normal course of inflow or outflow of water into or from the pond on the upstream or down-stream without permission of the Authority;
- (ii) dump debris, municipal or industrial waste, mud or earth soil into and around pond, green belt or catchment areas;
- (iii) discharge untreated municipal waste or industrial effluent into pond directly or indirectly;
- (iv) construct roads, bridges or other structures within the pond area including the pond bund without permission of the Authority;
- (v) breach bund, waste weir including lowering or raising the height of the waste weir from its original height or remove fence, boundary stones or any hoarding or any sign board erected by the Authority;
- (vi) do any other act which is detrimental, directly or indirectly to pond:

Provided that nothing in this Act shall prohibit the Authority to redefine water uses of pond or treated effluent of sewage treatment plant or effluent treatment plant, from time to time:

Provided further that the Authority may grant permission for any of the above prohibited uses, in public interest with the prior concurrence of the Government.

Construction and development of pond to vest in Authority.

15. (1) Notwithstanding anything contained in any State law, instrument or order, the construction and development of pond with effect from the commencement of this Act shall, vest in the Authority. No person shall undertake any activity, whatsoever, within the boundary of a pond otherwise than in accordance with the permission granted by the Authority:

Provided that the Authority shall not grant any permission unless it is satisfied that such permission shall not have adverse impact on construction and development of pond:

Provided further that the Government may, by order in writing, allow withdrawal and use of the water of pond for the purposes for which it was withdrawn and used immediately before the commencement of this Act to the extent such withdrawal does not affect adversely the conservation and development of pond.

(2) Notwithstanding anything contained in any other State law, the Authority may direct the Gram Panchayat or municipality to remove any building, structure or any other object of obstruction within the protected area and pond land:

Provided that no building, structure or any other object of obstruction shall be removed, without following such procedure, as may be prescribed.

16. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, either suo-moto or on the recommendation of the Authority, declare a geographical area, green belt or catchment area around the pond to be a protected area.

Declaration of protected area.

(2) Any person aggrieved by the notification under sub-section (1) may, within two months from the date of publication of such notification in the Official Gazette, file his objections or suggestions before the Government in such manner, as may be prescribed.

(3) On the expiry of the period specified in sub-section (2), the Government may, after considering the objections and suggestions received by it under sub-section (2), either withdraw or modify the notification issued under sub-section (1) or reject the objections or suggestions, as the case may be. The decision of the Government shall be final.

17. (1) The Authority shall be consulted at the time of preparation of spatial or development plan of any area comprising a pond or protected area and no spatial or development plan in respect of such area shall be approved or enforced without prior approval of the Authority.

Reularation of activities in protected area.

(2) No construction shall be undertaken in the protected area without obtaining prior permission of the Authority. The Authority may grant permission in such manner, as may be prescribed.

(3) The Government may, by notification in the Official Gazette, either suo-moto on the basis of information available with it or on the recommendation of the Authority, specify, such other activities in the protected area, as it considers expedient for the construction and development of pond, which shall be prohibited or be undertaken after obtaining prior permission of the Authority.

(4) The Authority shall not grant any permission under sub-sections (2) or (3) if it is satisfied that such permission is likely to have adverse impact on construction and development of pond.

18. (1) When an offence under sections 14, 15 or 17 has been committed, any instrument, implement, machinery, device, tool, boat, vehicle or any other material or object used in committing any such offence, shall be seized by the Gram Panchayat or Municipality.

Power to seize.

(2) The Gram Panchayat or Municipality seizing any property, vehicle, material or object under sub-section (1) shall place on them a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, make a report of such seizure to the police station having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure is made.

19. (1) The Government may, if deemed necessary, constitute a village level committee to be called _____ (name of village) Pond and Waste Water Management Committee to carry out the objects of this Act. The committee shall be headed by the Sarpanch and shall consist of village level workers i.e. members from Village Water and Sanitation Committee (VWSC), Asha worker, member of self-help group, Swachhta Doot, representative of farmers to be benefitted and other volunteer social worker from village, as deemed fit.

Village pond and Waste Water Management Committee.

(2) The district level committee shall review the achievements of village level committee.

20. Whoever contravenes the provisions of sections 14, 15 or 17 shall be liable for fine not exceeding twenty-five thousand rupees or to imprisonment not exceeding three months or both

Panelty for contravention.

21. Whoever,-

(i) obstructs the Gram Panchayat, Municipality, District Pond Management Officer or any person acting under the orders or directions of the Authority, from exercising powers, discharging function or performing duties under this Act or the rules made thereunder; or

Penalty for causing obstruction.

(ii) damages any work or property of the Authority; or

- (iii) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the directions of the Authority,

shall be liable on conviction to a fine not exceeding ten thousand rupees or to imprisonment not exceeding one month or both.

Enhanced penalty for subsequent offence.

22. If any person, who has been convicted of any offence under section 20 is again found guilty of an offence involving a contravention of the same provision, shall on the second and on every subsequent conviction be liable to a fine not exceeding fifty thousand rupees or to imprisonment not exceeding six months or to both.

Offences by company.

23. Where an offence under this Act has been committed by a company or residents association, every person who, at the time, the offence was committed was in charge of, and was responsible to the conduct of the business of the company or residents association shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this section shall, render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge.

Explanation.- For the purposes of this section “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals.

Fund of Authority.

24. (1) The fund of the Authority shall consist of the amount to be paid to it by the Government and all other receipts by way of gift, grant, penalties, fee, user charges or otherwise and shall be utilized for making payments and for performing its duties and discharging its functions under this Act.

(2) The Authority may receive Corporate Social Responsibility funds from private organizations. The Authority may release funds to or receive funds from any other Department or any organization of State for implementation of the scheme or programme as a deposit work in such manner, as may be prescribed.

(3) The Authority may keep in saving or deposit account with any scheduled bank or co-operative or other bank approved by the Government in this behalf, such sum of money out of its fund, as it may determine and any money in excess of the said sum shall be invested in such manner, as may be prescribed.

(4) The accounts shall be operated in such manner and by such officer, as may be prescribed.

Accounts and audit.

25. (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Accountant General, Haryana and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority.

(3) The Accountant General, Haryana and any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Authority shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General, Haryana has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Authority.

(4) The accounts of the Authority as certified by the Accountant General, Haryana or any person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and an explanatory memorandum on the action so taken or proposed to be taken shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause a copy of the same to be laid before the State Legislature.

(5) The Member Secretary shall cause the accounts of the Authority together with the audit report and the explanatory memorandum to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the State Legislature under sub-section(4).

Annual Report.

26. (1) The Member Secretary shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the annual report to the Government in such form and on or before such date, as may be prescribed and the Government shall cause the report to be laid before the State Legislature.

(2) The report referred to in sub-section (1) shall include an explanatory memorandum on the status of implementation of the annual plan of action on relief measures, schemes implemented alongwith gaps and shortfalls, if any, in implementation and reasons for such shortfall.

(3) The Member Secretary shall cause the report together with the explanatory memorandum to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the State Legislature under sub-section (1).

27. (1) The Member Secretary shall submit, in such form and manner and at such time every year, as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and disbursement of the Authority.

Budget.

(2) The Authority shall, subject to such modifications and revisions, as it may decide, approve the budget submitted under sub-section (1).

(3) The budget as modified or revised by the Authority shall be forwarded to the Government alongwith such number of authenticated copies, as may be required by the Government and the Government shall cause the report to be laid before the State Legislature.

(4) The Member Secretary shall cause the budget as modified or revised by the Authority, to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the State Legislature under sub-section (3).

28. The Chairperson, the Senior Vice-Chairperson, the Executive Vice-Chairperson, Technical Advisor, Member Secretary, Members, officers and other employees of the Authority and every other officer exercising any of the powers conferred by this Act or the rules made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Officers to be public servants.

29. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

30. (1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force.

Effect of other laws.

(2) The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

31. (1) If any difficulties arise in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulties:

Power to remove difficulties.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

32. Nothing in this Act shall restrict or be construed as restricting any religious rights of any section of the society in respect of a pond having religious importance.

Saving of religious rights.

33. The Government may issue administrative orders and guidelines not inconsistent with the provisions of this Act to carry out the objects of this Act until the rules are made.

Transitory provisions.

34. (1) The Government may, by notification after previous publication, make rules to carry out any or all the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following, matters, namely:-

- (i) salary, allowances and other conditions of service for the Executive Vice-Chairperson of the Authority;
- (ii) salary, allowances and other conditions of service for the Technical Advisor;
- (iii) salary, allowances and other conditions of service for the Member Secretary;
- (iv) allowance to be paid to non-official members for attending meeting;
- (v) procedure for conduct of business at the meeting of the Authority;

- (vi) the amount upto which the Executive Vice-Chairperson shall have the power to administratively approve the project estimates and accept tenders without concurrence of the Authority;
- (vii) such other powers as may be exercised by the Executive Vice-Chairperson;
- (viii) powers of the Technical Advisor to exercise control over the officers and officials of the Authority;
- (ix) powers of the Technical Advisor to authenticate by his signatures all technical permissions, orders, notices and other documents of the Authority;
- (x) powers of the Member Secretary to authenticate by his signatures all permissions, orders, decisions, notices and other documents of the Authority;
- (xi) powers of the Member Secretary to exercise other powers and discharge other functions and perform other duties of the Authority;
- (xii) manner, qualifications and conditions of service of officers and staff of the Authority;
- (xiii) the allowances of non-official members of the district level committee for attending the meeting;
- (xiv) other powers, functions and duties of the District Pond Management Officer;
- (xv) the procedure to be followed for removing buildings, structure or any other object of obstruction;
- (xvi) the manner for filing objections or suggestions declaring pond boundaries and protected area;
- (xvii) the manner for obtaining prior permission for undertaking construction in the protected area;
- (xviii) the manner to release or receive funds from any other department or any other organization of Government for implementation of scheme or programme as a deposit work;
- (xix) the manner for investment of excess funds with the Authority;
- (xx) manner for operation of accounts;
- (xxi) the form and manner for maintaining proper accounts and other records and for preparation of annual statement of accounts of the Authority;
- (xxii) the form and manner for preparation of annual report of full accounts of activities of the Authority;
- (xxiii) the form and the date for submission of annual report;
- (xxiv) the form, manner and time for preparation of budget;
- (xxv) any other matter which has to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid down, as soon as may be possible, before the State Legislature.

Repeal and saving.

35. (1) The Haryana Pond and Waste Water Management Authority Ordinance, 2018 (Haryana Ordinance No.4 of 2018), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Ponds have been an integral part of Indian life style and culture since ancient times. Ponds were dug and maintained by the communities. Governments have always supported the community efforts in this regard. However, over the years a large number of different Departments of Government have become responsible for different activities relating to maintenance of ponds.

In Haryana, there are large number of ponds which have been traditional source of surface water storage, ground water augmentation, irrigation, domestic and drinking water and rural industries. Large number of these ponds have become non-functional due to encroachment, destruction or any other reason. Destruction of ponds has lead to acute shortage of water and rapid depletion of ground water and thereby affecting local availability of water for irrigation, besides affecting aquatic flora and fauna and accordingly there is an urgent need for protection, conservation, development, redevelopment and rejuvenation of Ponds by a Single Authority.

Due to introduction water supply system in villages, dirty water is being generated in large quantity and this dirty water is being discharged into large number of ponds making their water unfit for cattle consumption and other uses. Treated effluent from sewage treatment plants/effluent treatment plants from towns and other waste water is either being discharged in open spaces or into the existing drains causing environmental pollution in the absence of necessary infrastructure for use of this water for irrigation and other purposes thereby reducing stress on ground water exploitation.

It is, therefore, expedient to provide for establishment of "The Haryana Pond and Waste Water Management Authority" having necessary powers and functions to achieve the object of development, protection, rejuvenation, conservation, construction & management; utilization of pond water for irrigation wherever required and utilization of treated effluent of sewage treatment plants/ effluent treatment plants for the purpose of irrigation and other uses.

MANOHAL LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th August, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Under Section 34 of the bill the power has been delegated to the Government to make rules under this Act. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business of the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

.....

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 25-एच0एल0ए0

हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण विधेयक, 2018

राज्य में तालाबों के विकास, रक्षण, पुनरुज्जीवन, संरक्षण, सन्निर्माण तथा प्रबन्धन,
तालाब जल के उपयोग तथा उसके शोधन के लिए तथा भू-जल के अति
उपयोग के दबाव को कम करने हेतु सिंचाई के प्रयोजन के लिए
मलजल बहिःस्राव शोधन संयंत्र के शोधित बहिःस्राव के
प्रबन्धन तथा उपयोग के लिए तथा उससे संबंधित
या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए
प्राधिकरण स्थापित करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।
- (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं।
- (3) यह राज्य में सभी तालाबों पर लागू होगा, किन्तु निम्नलिखित तालाबों पर लागू नहीं होगा—
 - (i) जिनका क्षेत्र 0.5 एकड़ से कम है;
 - (ii) वन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित हैं; तथा
 - (iii) निजी भूमि पर अवस्थित हैं।

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ तथा
लागूकरण।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

- (क) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण;
- (ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;
- (ग) "जिला स्तरीय समिति" से अभिप्राय है, धारा 12 के अधीन गठित जिला परामर्श तथा निगरानी समिति;
- (घ) "जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जिला स्तर पर गुप क सेवा का कोई अधिकारी;
- (ङ) "कार्यकारी उपाध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का कार्यकारी उपाध्यक्ष;
- (च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (छ) "ग्राम पंचायत" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) के अधीन ग्राम स्तर पर गठित पंचायत;
- (ज) "सदस्य" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का सदस्य तथा इसमें शामिल हैं अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष;
- (झ) "सदस्य सचिव" से अभिप्राय है, प्राधिकरण का सदस्य सचिव;
- (ञ) "नगरपालिका" से अभिप्राय है, स्वायत्त शासन की कोई संस्था जो नगरपालिका समिति या नगर परिषद् या नगर निगम हो सकता है;

- (ट) "तालाब" से अभिप्राय है, सरोवर (टैंक) या झील या 0.5 एकड़ या अधिक के क्षेत्र वाला कोई अन्य अंतर्देशीय जल निकाय चाहे इसमें जल हो या नहीं, और राजस्व अभिलेखों में तालाब, जोहड़, सरोवर या किसी अन्य नाम से वर्णित हो तथा इसमें हरित पट्टी और परिधीय जलग्रहण क्षेत्र, मुख्य फीडर अन्तर्गम तथा अन्य अन्तर्गम, बांध, मेढें, जल मार्ग इत्यादि किन्तु इसमें सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित दलदली भूमि शामिल नहीं है;
- (ठ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
- (ड) "रक्षित क्षेत्र" से अभिप्राय है, धारा 16 के अधीन ऐसे रूप में घोषित क्षेत्र;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
- (ण) "ग्राम स्तरीय समिति" से अभिप्राय है, धारा 19 के अधीन गठित ग्राम तालाब तथा अपजल प्रबन्धन समिति।

प्राधिकरण का गठन।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण के नाम से प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्राधिकरण चल और अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने और संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा रखने वाला, उक्त नाम से निगमित निकाय होगा और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर, उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- | | | |
|--------|--|---------------------|
| (i) | मुख्यमंत्री, हरियाणा | अध्यक्ष |
| (ii) | कार्यभारी मंत्री, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग | वरिष्ठ उपाध्यक्ष |
| (iii) | कार्यभारी मंत्री, विकास तथा पंचायत विभाग | वरिष्ठ उपाध्यक्ष |
| (iv) | सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति
जिसने सिद्ध ट्रैक रिकार्ड सहित जल संसाधन प्रबन्धन
के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की हो और स्नातक की
न्यूनतम योग्यता रखता हो | कार्यकारी उपाध्यक्ष |
| (v) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग | सदस्य |
| (vi) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| (vii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग | सदस्य |
| (viii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| (ix) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | सदस्य |
| (x) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग | सदस्य |
| (xi) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| (xii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग | सदस्य |

- (xiii) कुलपति, दीनबन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल (सोनीपत) सदस्य
- (xiv) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र सदस्य
- (xv) सरकार द्वारा तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने वाला कोई अधिकारी, जो राज्य या केन्द्रीय सरकार के सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ऐसे पद या समकक्ष पद, जो प्रमुख अभियन्ता की पदवी से नीचे का न हो, पर कार्यरत है या कार्य किया हो सदस्य
- (xvi) सरकार द्वारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी या तालाब विकास तथा संरक्षण के क्षेत्र से विशेषज्ञ/ सामाजिक कार्यकर्ताओं में से नियुक्त किए जाने वाले दो व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य
- (xvii) कोई अधिकारी, जो राज्य या केन्द्रीय सरकार के सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या विकास तथा पंचायत विभाग में ऐसे पद या समकक्ष पद, जो मुख्य अभियन्ता की पदवी से नीचे का न हो, पर कार्यरत है या कार्य किया हो। सदस्य सचिव

4. (1) कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु का होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा दो अवधियों से अधिक के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

(3) पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य, किसी भी समय, अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(4) गैर-सरकारी सदस्य, प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते, जो विहित किए जाएं, प्राप्त करेंगे।

5. (1) प्राधिकरण ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर बैठक करेगा तथा बैठकों के संचालन और कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे प्रक्रिया नियमों की अनुपालना करेगा, जो विहित किए जाएं। प्राधिकरण की बैठक।

(2) अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

6. प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :- प्राधिकरण के कृत्य।

(i) तालाबों, इसकी सीमाओं तथा रक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना;

(ii) सिंचाई तथा अन्य उपयोगों के लिए तालाब के जल की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए विश्लेषण करना;

(iii) तालाबों के विनियमन, नियन्त्रण, रक्षण, स्वच्छता, सौन्दर्यकरण, संरक्षण, सुधार, पुनरुद्धार, नवीकरण तथा सन्निर्माण के लिए कदम उठाना;

(iv) तालाबों का पर्यावरिक प्रभाव निर्धारण करना;

(v) तालाबों के विकास तथा अतिक्रमण हटाने के लिए एकीकृत योजना तैयार करना;

- (vi) जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सेमीनारों के आयोजनों द्वारा तालाब की स्वच्छता, संरक्षण, पर्यटन तथा सौन्दर्यकरण में सामूहिक भागीदारी तथा जागरूकता को बढ़ावा देना;
- (vii) तालाब जल की उपयोगिता तथा सिंचाई के प्रयोजनों के लिए मलजल शोधन संयंत्र के बहिःस्राव के लिए अवसंरचना जैसे कि पम्पिंग मशीनरी, चैनल तथा पाइप सिस्टम का विकास करना;
- (viii) कोई अन्य कृत्य करना, जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
- 7.** इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को अपने कृत्य करते समय निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
- (i) अपने कृत्यों का पालन करने के लिए तालाब भूमि, हरित पट्टी तथा जलग्रहण क्षेत्र में प्रवेश करना;
- (ii) अनुदान, चंदा, अंशदान तथा किराया प्राप्त करना;
- (iii) फीस या प्रभारों का उद्ग्रहण करना;
- (iv) निजी संगठनों से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधियां प्राप्त करना;
- (v) परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देना;
- (vi) जिला स्तरीय समिति की सिफारिश पर ग्राम स्तरीय समिति को निधि जारी करना;
- (vii) कोई अन्य शक्ति, जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए।
- 8.** (1) कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राधिकरण की सहमति के अध्यधीन सभी परियोजना अनुमानों का प्रशासनिक अनुमोदन देगा तथा निविदाएं स्वीकार करेगा :
परन्तु ऐसी कोई भी सहमति ऐसी धनराशि तक, जो विहित की जाए, अनिवार्य नहीं होगी।
- (2) कार्यकारी उपाध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।
- 9.** तकनीकी सलाहकार निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-
- (i) तालाबों के विकास के लिए प्रस्तावों तथा परियोजना अनुमानों को तैयार करना;
- (ii) तालाबों तथा मलजल/बहिःस्राव शोधन संयंत्र तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए सिंचाई योजनाएं तैयार करना;
- (iii) परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अनुमानों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना;
- (iv) प्राधिकरण को तकनीकी सलाह देना;
- (v) प्राधिकरण की योजनाओं तथा कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (vi) प्राधिकरण की ऐसी तकनीकी स्वीकृतियों, आदेशों, नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों को अधिप्रमाणित करना, जो विहित किए जाएं;
- (vii) प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, जो विहित किए जाएं।
- 10.** सदस्य सचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-
- (i) प्राधिकरण के संकल्पों को कार्यान्वित करना;
- (ii) प्राधिकरण के कार्यकलापों का संचालन करना;
- (iii) प्राधिकरण की निधि में से धनराशि का आहरण तथा संवितरण करना, जो उसे प्रत्यायोजित की गई हो;
- (iv) ऐसी स्वीकृतियों, आदेशों, विनिश्चयों, नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों को अधिप्रमाणित करना, जो विहित किए जाएं;
- (v) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

11. (1) प्राधिकरण के संगठन में स्थापना, अभियांत्रिकी, लेखा तथा विधिक अनुभाग होंगे।
 (2) सरकार की पूर्व अनुमति से प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द को ऐसी रीति में तथा ऐसी योग्यताओं तथा सेवा शर्तों सहित नियुक्त कर सकता है, जो विहित की जाएं।
 (3) प्राधिकरण, इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए, ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर या संविदात्मक नियोजन के माध्यम से भर्ती या नियोजित कर सकता है, जो यह आवश्यक समझे।
 (4) प्राधिकरण राज्य के किसी अन्य विभाग या संगठन से डिपॉजिट कार्य के रूप में अपने कार्यों का कार्यान्वयन करवा सकता है।

प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा।

12. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिला स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली जिला परामर्श तथा निगरानी समिति,.....(जिले का नाम) से ज्ञात समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-

जिला परामर्श तथा निगरानी समिति।

- | | |
|--|------------------|
| (i) कार्यभारी मन्त्री, जिला शिकायत समिति | अध्यक्ष |
| (ii) अध्यक्ष, जिला परिषद् | सदस्य |
| (iii) सम्बन्धित नगरपालिकाओं के महापौर/प्रधान | सदस्य |
| (iv) उपायुक्त | सदस्य |
| (v) अपर उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण) | सदस्य |
| (vi) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| (vii) अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| (viii) जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी | सदस्य |
| (ix) उप निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग | सदस्य |
| (x) जिला बागवानी अधिकारी | सदस्य |
| (xi) जिला वन अधिकारी | सदस्य |
| (xii) जिला मत्स्यपालन अधिकारी | सदस्य |
| (xiii) सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पर्यावरण, पारिस्थितिकी या तालाब विकास तथा संरक्षण के क्षेत्र से विशेषज्ञों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं में से दो व्यक्ति। | गैर-सरकारी सदस्य |
| (xiv) जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी | सदस्य सचिव। |

- (2) गैर-सरकारी सदस्य जिला स्तरीय समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं।

- (3) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा दो अवधियों से अधिक के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

13. जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी के कृत्य तथा कर्तव्य।

- जिला स्तरीय समिति के संकल्पों को कार्यान्वित करना;
- जिला स्तरीय समिति के कार्यकलापों का संचालन करना;
- जिला स्तरीय समिति की स्कीमों तथा कार्यों के निष्पादन की निगरानी करना;
- जिला स्तरीय समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना;
- ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

14. कोई भी व्यक्ति,-

तालाबों में प्रतिषिद्ध कार्य।

- प्राधिकरण की अनुमति के बिना तालाब भूमि, हरित पट्टी तथा जलग्रहण क्षेत्र में किसी संरचना का निर्माण नहीं करेगा, किसी तालाब भूमि या उसके भाग का अधिभोग नहीं करेगा अथवा ऊपर की ओर प्रवाह अथवा नीचे की ओर प्रवाह पर तालाबों में या से जल के अंतर्वाह तथा बहिर्वाह के प्राकृतिक या सामान्य अनुक्रम में कोई बाधा नहीं डालेगा;

- (ii) तालाब, हरित पट्टी या जलग्रहण क्षेत्रों में तथा इसके इर्द-गिर्द मलबा, नगरपालिका या औद्योगिक अपशिष्ट, कीचड़ या भू-मिट्टी का ढेर नहीं लगाएगा;
- (iii) प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तालाब में अशोधित नगरपालिका अपशिष्ट या औद्योगिक बहिःस्राव नहीं गिराएगा;
- (iv) प्राधिकरण की अनुमति के बिना तालाब क्षेत्र, जिसमें तालाब में भी शामिल हैं, में सड़कों, पुलों या अन्य संरचनाओं का सन्निर्माण नहीं करेगा;
- (v) प्राधिकरण द्वारा निर्मित पक्की ढाल की वास्तविक ऊंचाई से पक्की ढाल की ऊंचाई को घटाने या बढ़ाने सहित बांध, पक्की ढाल का अतिक्रमण नहीं करेगा अथवा बाड़, परिसीमा पत्थर या किसी होर्डिंग या किसी संकेत पट्टी को नहीं हटाएगा;
- (vi) कोई अन्य कार्य नहीं करेगा, जो तालाब के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हो :

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात, प्राधिकरण को, समय-समय पर, तालाब के जल के उपयोग या शोधित मलजल शोधन संयंत्र या बहिःस्राव शोधन संयंत्र के बहिःस्राव को पुनः परिभाषित करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण, सरकार की पूर्व सहमति से लोकहित में, उपरोक्त किन्हीं प्रतिषिद्ध उपयोगों के लिए अनुमति दे सकता है।

तालाब के सन्निर्माण तथा विकास का प्राधिकरण में निहित होना।

15. (1) किसी राज्य विधि, लिखित या आदेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तालाब का सन्निर्माण तथा विकास प्राधिकरण में निहित होगा। कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार से अन्यथा किसी तालाब की परिसीमा के भीतर कोई भी गतिविधि, किसी भी स्वरूप की हो, नहीं करेगा :

परन्तु प्राधिकरण तब तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा, जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है कि ऐसी स्वीकृति से तालाब के सन्निर्माण तथा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

परन्तु यह और कि सरकार, लिखित आदेश द्वारा, तालाब के जल की ऐसी निकासी की सीमा तक, जो इसके संरक्षण तथा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है, उस प्रयोजन के लिए तालाब के जल की निकासी तथा उपयोग को अनुमत कर सकती है, जिसके लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व जल की निकासी की गई थी और को उपयोग किया गया था।

- (2) किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण ग्राम पंचायत या नगरपालिका को रक्षित क्षेत्र तथा तालाब भूमि में बाधा पहुंचाने वाले किसी निर्माण, संरचना या किसी अन्य वस्तु को हटाने का निदेश कर सकता है :

परन्तु बाधा पहुंचाने वाले किसी निर्माण, संरचना या किसी अन्य वस्तु को ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, का पालन किए बिना हटाई नहीं जाएगी।

रक्षित क्षेत्र की घोषणा।

16. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो स्वप्रेरणा से या प्राधिकरण की सिफारिश पर, तालाब के इर्द-गिर्द भौगोलिक क्षेत्र, हरित पट्टी या जलग्रहण क्षेत्र को रक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से व्यथित कोई व्यक्ति, राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो मास के भीतर, सरकार के सम्मुख, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपने आक्षेप या सुझाव दायर कर सकता है।

(3) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, सरकार, उप-धारा (2) के अधीन इसके द्वारा प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार करने के बाद, उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को या तो वापिस ले सकती है या उपान्तरित कर सकती है या आक्षेपों या सुझावों, जैसी भी स्थिति हो, को रद्द कर सकती है। सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

रक्षित क्षेत्र में गतिविधियों का विनियमन।

17. (1) प्राधिकरण से तालाब वाले किसी क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र की स्थानिक या विकास योजना तैयार करते समय परामर्श किया जाएगा तथा प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी स्थानिक या विकास योजना अनुमोदित या लागू नहीं की जाएगी।

(2) प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, रक्षित क्षेत्र में कोई भी सन्निर्माण नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(3) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो इसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से या प्राधिकरण की सिफारिश पर, रक्षित क्षेत्र में ऐसी अन्य गतिविधियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो तालाब के सन्निर्माण तथा विकास के लिए समीचीन समझी जाएं, जिन्हें प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, प्रतिषिद्ध किया जाएगा या किया जाए।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (2) या (3) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा यदि इसकी संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी स्वीकृति से तालाब के सन्निर्माण तथा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है।

18. (1) जब धारा 14, 15 या 17 के अधीन कोई अपराध किया गया हो, तो ऐसे किसी अपराध को करने में उपयोग किए गए किसी उपकरण, औजार, मशीनरी, यंत्र, हथियार, किशती, वाहन या कोई अन्य सामग्री या वस्तु ग्राम पंचायत या नगरपालिका द्वारा जब्त की जाएगी।

जब्त की शक्ति।

(2) ग्राम पंचायत या नगरपालिका उप-धारा (1) के अधीन जब्त किसी सम्पत्ति, वाहन, सामग्री या वस्तु पर यह दर्शाते हुए कि वे इस प्रकार जब्त की गई हैं, उन पर एक निशान लगाएगी और यथाशीघ्र ऐसी जब्त की रिपोर्ट ऐसे पुलिस थाना को भेजेगी, जो अपराध के विचारण की अधिकारिता रखता हो, जिसके आधार पर जब्त की गई है।

19. (1) सरकार, यदि आवश्यक समझे, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु..... (ग्राम का नाम) तालाब तथा अपजल प्रबन्धन समिति के नाम से ज्ञात ग्राम स्तरीय समिति गठित कर सकती है। समिति की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी तथा ग्राम स्तरीय कर्मकारों, अर्थात् ग्राम जल तथा स्वच्छता समिति (वी०डब्ल्यू०एस०सी०) के सदस्यों, आशा कर्मकार, स्वयं सहायता ग्रुप के सदस्य, स्वच्छता दूत, लाभान्वित किए जाने वाले किसानों के प्रतिनिधि तथा ग्राम के अन्य स्वयंसेवक सामाजिक कार्यकर्ता, जैसा उचित समझे, से मिलकर बनेगी।

ग्राम तालाब तथा अपजल प्रबन्धन समिति।

(2) जिला स्तरीय समिति, ग्राम स्तरीय समिति की उपलब्धियों का पुनर्विलोकन करेगी।

20. जो कोई भी धारा 14, 15 अथवा 17 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, तो पच्चीस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने या तीन मास से अनधिक के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा।

उल्लंघन के लिए दण्ड।

21. जो कोई भी,—

बाधा डालने के लिए दण्ड।

(i) प्राधिकरण के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्य कर रही ग्राम पंचायत, नगरपालिका, जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी या किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने, कृत्यों का निर्वहन करने या कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डालता है; या

(ii) प्राधिकरण के किसी कार्य या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है; या

(iii) प्राधिकरण के निर्देशों द्वारा या के अधीन जमीन में गड़े किसी स्तंभ, पोस्ट या हिस्से या प्रदर्शित, अंकित या लगाए गए किसी नोटिस या अन्य सामग्री को नष्ट करता है, गिराता है, हटाता है, क्षति पहुंचाता है या विकृत करता है,

तो दोषसिद्धि पर दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने या एक मास से अनधिक के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

22. यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 20 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उसी उपबन्ध की उल्लंघना में अंतर्विष्ट किसी अपराध के लिए दोबारा दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्तर्वती दोषसिद्धि पर पचास हजार रुपये से अनधिक जुर्माने या छह मास से अनधिक के कारावास से या दोनों से दण्डनीय होगा।

पश्चात्तर्वती अपराध के लिए वर्धित दण्ड।

23. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी या आवासीय संगठन द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय पर कम्पनी या आवासीय संगठन का कार्यभारी था, और उसके कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, अपराध के दोषी के रूप में समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा और तदनुसार दण्डित किया जाएगा:

कम्पनी द्वारा किए गए अपराध।

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात, इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दंड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों हेतु "कम्पनी" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्ति संगम भी शामिल हैं।

प्राधिकरण की
निधि।

24. (1) प्राधिकरण की निधि सरकार द्वारा इसे भुगतान किए जाने वाली राशि होगी तथा उपहार, अनुदान, दण्डों, फीसों, उपयोग प्रभार या अन्यथा के माध्यम से सभी अन्य प्राप्तियों से मिलकर बनेगी तथा इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने के लिए और इसके कर्तव्यों का पालन करने और इसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उपयोग की जाएगी।

(2) प्राधिकरण निजी संगठनों से निगमित सामाजिक भागीदारी निधि प्राप्त कर सकता है। प्राधिकरण, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में डिपोजिट बर्क के रूप में योजना तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य के किसी अन्य विभाग या किसी संगठन को निधियां जारी या से प्राप्त कर सकता है।

(3) प्राधिकरण, इसकी निधि में से ऐसी धनराशि, जो यह अवधारित करे, किसी अनुसूचित बैंक या इस निमित्त सरकार द्वारा अनुमोदित किसी सहकारी या अन्य बैंक में बचत या जमा लेखा में रख सकता है और उक्त धनराशि से अतिरिक्त कोई राशि ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निवेश की जाएगी।

(4) लेखे ऐसी रीति में तथा ऐसे अधिकारी, जो विहित किया जाए, द्वारा संचालित किए जाएंगे।

लेखे और
संपरीक्षा।

25. (1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित किए जाएं, में उचित लेखे और अन्य सुसंगत रिकार्ड बनाए रखेगा और तुलन-पत्र सहित लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखे, महालेखाकार, हरियाणा से प्रतिवर्ष संपरीक्षा के अध्यक्षीन होंगे और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई खर्च प्राधिकरण द्वारा भुगतानयोग्य होगा।

(3) महालेखाकार, हरियाणा और प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में उस द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो महालेखाकार, हरियाणा को सरकारी लेखों की संपरीक्षा के संबंध में हैं और विशिष्टतया, पुस्तकों, लेखों, सम्बन्धित वॉउचरों और अन्य दस्तावेजों और पेपरों को प्रस्तुत करने की मांग और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार, हरियाणा या इस निमित्त उस द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखों के साथ-साथ उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट और इस प्रकार की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सरकार को प्रति वर्ष भेजा जाएगा और सरकार उसकी प्रति राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी।

(5) सदस्य सचिव, उपधारा (4) के अधीन राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने के बाद, प्राधिकरण के लेखों के साथ-साथ संपरीक्षा रिपोर्ट और व्याख्यात्मक ज्ञापन प्राधिकरण की वैबसाइट पर डलवाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

26. (1) सदस्य सचिव, प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी तिथि, जो विहित की जाए, को या से पूर्व भेजेगा और सरकार, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखवाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में राहत उपायों, कार्यान्वित की गई योजनाओं पर कार्रवाई की वार्षिक प्लान के कार्यान्वयन और कार्यान्वयन में अन्तरालों तथा कमियों, यदि कोई हों, और ऐसी कमी के लिए कारणों की वस्तु-स्थिति पर व्याख्यात्मक ज्ञापन शामिल होगा।

(3) सदस्य सचिव, उपधारा (1) के अधीन राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने के बाद, प्राधिकरण की वैबसाइट पर रिपोर्ट के साथ-साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन डलवाएगा।

बजट।

27. (1) सदस्य सचिव, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और अदायगियों को दर्शाते हुए आगामी अनुवर्ती वित्त वर्ष के संबंध में बजट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत बजट, ऐसे उपान्तरणों और पुनरीक्षणों के अध्यक्षीन, जैसा यह विनिश्चय करे, का अनुमोदन करेगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा यथा उपान्तरित और पुनरीक्षित बजट अधिप्रमाणित प्रतियों की ऐसी संख्या, जो सरकार द्वारा अपेक्षित हों, सहित सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और सरकार, रिपोर्ट को राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी।

(4) सदस्य सचिव, उप-धारा (3) के अधीन राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखने के बाद, प्राधिकरण द्वारा यथा उपान्तरित अथवा पुनरीक्षित बजट प्राधिकरण की वैबसाइट पर डलवाएगा।

अधिकारियों
का लोक
सेवक होना।

28. प्राधिकरण का अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार, सदस्य सचिव, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

29. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
30. (1) इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे। अन्य विधियों का प्रभाव।
(2) इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे तथा अल्पीकरण में नहीं होंगे।
31. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाव रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।
परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।
32. इस अधिनियम की कोई भी बात, धार्मिक महत्व वाले किसी तालाब के सम्बन्ध में समाज के किसी वर्ग के किन्हीं धार्मिक अधिकारों को प्रतिबन्ध नहीं करेगी या पर प्रतिबन्ध के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक अधिकारों की व्याप्ति।
33. सरकार, जब तक नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्-असंगत प्रशासनिक आदेश तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकती है। अस्थायी उपबन्ध।
34. (1) सरकार, पूर्व प्रकाशन के बाद अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए ऐसे नियमों में उपबन्ध किए जा सकते हैं, अर्थात् :-
(i) प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष के वेतन, भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों;
(ii) तकनीकी सलाहकार के वेतन, भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों;
(iii) सदस्य सचिव के वेतन, भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों;
(iv) बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्तों;
(v) प्राधिकरण की बैठक के कारबार संचालन के लिए प्रक्रिया;
(vi) राशि, जिस तक कार्यकारी उपाध्यक्ष को प्राधिकरण की सहमति के बिना परियोजना अनुमानों का प्रशासनिक अनुमोदन देने तथा निविदाएं स्वीकार करने की शक्ति होगी;
(vii) ऐसी अन्य शक्तियां, जो कार्यकारी उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएं;
(viii) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए तकनीकी सलाहकार की शक्तियों;
(ix) प्राधिकरण की सभी तकनीकी स्वीकृतियों, आदेशों, नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों को तकनीकी सलाहकार के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करने के लिए उसकी शक्तियों;
(x) प्राधिकरण की सभी स्वीकृतियों, आदेशों, विनिश्चयों, नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों को सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करने के लिए उसकी शक्तियों;
(xi) प्राधिकरण की अन्य शक्तियों का प्रयोग करने तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करने तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदस्य सचिव की शक्तियों;
(xii) प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की सेवा की रीति, योग्यताएं तथा की शर्तों;

- (xiii) बैठकों में उपस्थित होने के लिए जिला स्तरीय समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के भत्तों;
- (xiv) जिला तालाब प्रबन्धन अधिकारी की अन्य शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों;
- (xv) बाधा के किसी निर्माण, संरचना या किसी अन्य वस्तु को हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (xvi) तालाब की परिसीमाओं तथा रक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए आक्षेपों या सुझावों को दायर करने की रीति;
- (xvii) रक्षित क्षेत्र में संनिर्माण करने के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रीति;
- (xviii) डिपाजिट कार्य के रूप में योजना या प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए सरकार के किसी अन्य विभाग या किसी अन्य संगठन को निधियां जारी करने या से प्राप्त करने के लिए रीति;
- (xix) प्राधिकरण की अतिरिक्त निधियों का निवेश करने के लिए रीति;
- (xx) लेखों के संचालन के लिए रीति;
- (xxi) प्राधिकरण के लेखों तथा अन्य अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए तथा लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करने के लिए प्ररूप तथा रीति;
- (xxii) प्राधिकरण की गतिविधियों के सम्पूर्ण लेखों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप तथा रीति;
- (xxiii) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप तथा तिथि;
- (xxiv) बजट तैयार करने के लिए प्ररूप, रीति तथा समय;
- (xxv) अन्य कोई मामला, जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, यथाशीघ्र सम्भव, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

35. (1) हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पुराने समय से तालाब भारतीय जीवन शैली तथा संस्कृति के अभिन्न भाग रहे हैं। समुदायों द्वारा तालाब खोदे तथा अनुरक्षित किए जाते थे। सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में समुदाय के प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है। तथापि, अनेक वर्षों से बहुत से विभिन्न सरकारी विभाग तालाबों के रखरखाव से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जिम्मेवार बने हैं।

हरियाणा राज्य में बहुत बड़ी संख्या में तालाब हैं जोकि सतह जल भण्डार, भूजल सँवर्धन, सिंचाई, घरेलू तथा पेयजल तथा ग्रामीण उद्योगों का परम्परागत स्रोत रहा है। बहुत से तालाब अतिक्रमण, विनाश तथा किसी अन्य कारणों के कारण अक्रियाशील हो गए हैं। तालाबों के अतिक्रमण एवं संहार के कारण जल की भारी कमी तथा भूजल स्तर में तीव्रता से कमी हो रही है। जिससे की जलीय वनस्पति तथा जीव जन्तु प्रभावित होने के साथ-साथ सिंचाई के लिए जल की स्थानीय उपलब्धता भी प्रभावित होती है। इसलिए एकल प्राधिकरण द्वारा तालाबों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास, पुर्नविकास तथा कायाकल्प करने की तुरन्त आवश्यकता है।

गांव में जल आपूर्ति प्रणाली के प्रारम्भ के कारण अशुद्ध पानी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है जिसको तालाबों में छोड़ने के कारण उनका पानी पशुओं के पीने तथा अन्य उपयोग के लायक नहीं है। नगरों में मल जल उपचार संयन्त्रों से उपचारित जल तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ या तो खुले स्थानों में या विद्यमान ड्रेनों में बहाया जा रहा है तथा सिंचाई के लिए इस पानी के प्रयोग हेतु आवश्यक अवसंरचना की कमी के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है तथा उसके द्वारा अन्य प्रयोजन के लिए भूजल उपयोग पर दबाव को कम करना है।

इसलिए तालाबों के विकास व इनकी सुरक्षा, कायाकल्प, संरक्षण, निर्माण तथा प्रबन्धन एवं उपयोग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आवश्यक शक्तियों तथा कार्यों के साथ "हरियाणा तालाब तथा अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण" की स्थापना करने का प्रावधान करना आवश्यक है। तथा जहां कहीं उसका उपचार आवश्यक हो, उपचारित करके तथा मल-जल उपचार संयन्त्रों व प्रदूषित उपचारित जल का सिंचाई परियोजन के लिए किया जा सके।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 अगस्त, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।

विधान के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ज्ञापन

इस अधिनियम की धारा 34 के तहत नियम बनाने के लिए सरकार को अधिकार सौंपा गया है। इसलिए हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया व संचालन के नियम 126 के रूप में ज्ञापन संलग्न है।

.....